राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.26(3)साप्र/2/2014 जयपुर, दिनांकः 28/4/17

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।

IMPORTANT

परिपत्र

विषयः–प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ. 16(1)एआर/ग्रुप–1/2014 उदयपुर संभाग/फालोअप दिनांक 18.9.2014 को विड्रा करते हुए राजकीय कार्यालय/परिसर के निर्माण की स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

राजकीय भवनों की स्वीकृति जारी करने के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.16(1)एआर/ग्रुप–1/2014 उदयपुर संभाग/फालोअप दिनांक 18.9.2014 को निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें 50 करोड रूपये से अधिक के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एवं 50 करोड़ से कम की लागत राशि होने पर प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। व्यवहारिक तौर पर यह देखने में आ रहा है कि अधिकतम प्रकरण, जो कि बहुत कम राशि के है, वे भी राज्य स्तर पर आ रहे है। इससे एक ओर जहाँ विलम्ब होता है वही दूसरी ओर निर्माण लागत भी बढ़ जाती है। जिसके फलस्वरूप विभागीय बजट का उपयोग समय पर नहीं हो पा रहा है। इसलिए उक्त परिपत्र को विड्रो करते हुए समिति एवं बजट सीमा में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

राजकीय भवन की लागत 5 करोड़ रूपये तक	राजकीय भवन की लागत 5 से 50 करोड़ रूपये तक	राजकीय भवन की लागत 50 करोड़ रूपये से अधिक
संभागीय आयुक्त– अध्यक्ष	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग– अध्यक्ष	मुख्य सचिव – अध्यक्ष
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग–सदस्य	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग–सदस्य	अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग–सदस्य
कोषाधिकारी संभाग मुख्यालय–सदस्य	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त या उनके प्रतिनिधि, जो शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव स्तर के हो–सदस्य	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त
संबंधित विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी–सदस्य सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, संबंधित प्रशासनिक विभाग–सदस्य	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, संबंधित विभाग–सदस्य
–	संबंधित विभागाध्यक्ष–सदस्य सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सदस्य सचिव

इस संबंध में स्वीकृति जारी करते समय निम्नानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित किया जाना हैः–

1. संबंधित विभाग द्वारा नये राजकीय भवन के निर्माण प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व संबंधित जिला कलक्टर से भवन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावेगा। उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही विभाग की आवश्यकता को देखते हुए कारण सहित विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगे। बजट प्रावधान कराने से पूर्व संबंधित विभाग को कमेटी के समक्ष अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने होगे, ताकि आवश्यकता के अनुसार भवन निर्मित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा सके।

---2

2. समिति द्वारा यह देखा जायेगा कि विभाग द्वारा प्रस्तावित राजकीय भवन स्टॉफ एवं अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बनाया जा रहा है, भवन व कमरे/हाल आदि अनावश्यक रूप से बड़े न हो व आवश्यकताओं के अनुरूप ही है।
3. भवन के लिए भूमि का आवंटन हो चुका हो या भवन निर्माण हेतु विभाग के पास पहले से ही भूमि उपलब्ध है। भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि निर्विवाद हो व उक्त भूमि संबंधित विभाग/राज्य सरकार के स्वामित्त्व व कब्जे में हो।
4. जिला कलक्टर द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र जारी करते समय यह आवश्यक रूप से देखा जावेगा कि :–
   (i) उस मुख्यालय पर यदि पहले से ही अनुपयोगी/जर्जर भवन उपलब्ध है, जो कि मरम्मत व जीर्णोद्धार के पश्चात् विभाग द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है, तो वहीं भवन विभाग को आवंटित किया जाय व संबंधित विभाग द्वारा उसी भवन का जीर्णोद्धार करवाकर उपयोग में लाया जाय। नवीन भवन स्वीकृत नहीं होगा।
   (ii) विभाग के पास यदि पहले से ही स्वयं का भवन है, तो उसका प्रयोग/निस्तारण किस प्रकार किया जावेगा व उससे प्राप्त होने वाली राशि का क्या प्रयोग किया जावेगा।
   (iii) प्रत्येक विभाग के लिए पृथक भवन बनाने की बजाय एक ही भवन में ज्यादा से ज्यादा विभागों को समायोजित किया जाय।
   (iv) बहुमंजिला भवन बनाने को प्रोत्साहित किया जावे। केवल एक/दो मंजिला भवन बनाने की प्रवृति को हतोत्साहित किया जाय।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(आर. पी. मीना)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
3. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों/राजकीय उपक्रम/बोर्डो/निगमों/सरकारी कम्पनीज।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव